२२.११.२२

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने उप० होकर आदेशिका में नोट प्रेस कर निवेदन किया कि वह वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वकील वादी द्वारा वाद में नोट प्रेस करने पर वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक २२.११.२२ को सुनाया गया।

[redacted]

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Choudhary
Date: 2023.01.05 15:22:59 IST
Reason: SelfAttested